न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 142/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. सेमीदेवी पत्नी बगडुराम 2. केली पत्नी पाचाराम 3. पपुदेवी पत्नी किसनाराम 4. पपुदेवी पत्नी ओमप्रकाश 5. बाबुदेवी पत्नी दाणुराम (जाति विश्नोई, निवासी सुरनाडा, जम्भेश्वर नगर, तहसील लोहावट, जिला फलौदी)		1. बाबुलाल पुत्र झुंझाराम 2. भागीरथ पुत्र झुंझाराम 3. प्रेमकुमार पुत्र लखूराम 4. मांगीलाल पुत्र लखूराम 5. रोशनी पुत्री लखूराम 6. सोहनलाल पुत्र लखूराम (जाति विश्नोई, निवासी चन्द्रनगर, तहसील लोहावट, जिला फलौदी) 7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 26/2023 आदेश दिनांक 20.10.2023

उपस्थिति –
1. श्री लाधूराम पूनिया, श्री अशोक कुमार वकील अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई, वकील रेस्पो0सं0 1 व 3 से 6
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 7
4. रेस्पो0सं0 2 बावजूद सूचना एवं नोटिस तामिल के अनुपस्थिति

निर्णय

दिनांक 07.10.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 6 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128, राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर तहसील लोहावट के ग्राम सुरनाडा स्थित अपने खातेदारी खसरा नं0 2331/3097 रकबा 21.2702 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.10.2023 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 6 के उल्लेखित खसरान की भूमि की नेखमबंदी/पत्थरगढी करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु अंतर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रा0प0 प्रस्तुत किये गये। जो न्यायहित में स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट्स ग्राम सुरनाडा के वादग्रस्त खसरान के पडौसी खसरा नं0 2331 के काबिज काश्त व सह–खातेदार है। प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में उन्हें पक्षकार नही बनाया गया, जिससे उन्हें नोटिस एवं सनुवाई का अवसर नही मिला। प्रत्यर्थी सं0 1 से 6 ने अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त खसरान की भूमि व विप्रार्थीगण के खेत की भूमि के मध्य माठ सेढा नही होने का उल्लेख किया है जबकि अपीलांट्स एवं प्रत्यर्थी के खेत खसरान के मध्य वक्त सेटलमेंट से सेढामाठ कायम चली आ रही है तथा मौके पर प्रर्याप्त सीमाज्ञान होता है। प्रत्यर्थीगण अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट्स की खातेदारी भूमि में जबरन नेखमबंदी करने को आमदा है। अपीलाधीन आदेश विप्रार्थी तहसीलदार लोहावट से सीमाज्ञान/जांच रिपोर्ट मंगवाये बिना ही पारित कर दिया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश आरएलआर एक्ट की धारा 111, 128 के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विपरित होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0 के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी –रेस्पो0सं0 1 से 6 ग्राम सुरनाडा के ख0नं0 2331/3097 रकबा 21.2702 हैक्टर भूमि के संयुक्त खातेदार है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि की पैमाईश के आवेदन पर तहसील लोहावट के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा समुचित ज्ञान के अभाव में पुख्ता सीमाचिन्ह से जरीब नही चलाया जाने से सीमाज्ञान कार्य पूर्ण नही हो सका। सीमाज्ञान के अभाव में प्रार्थी के खेत व फसल की सुरक्षा का अभाव है। इसलिए प्रार्थी ने अपने खसरान की पैमाईश करवाकर पत्थरगढी करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर उक्त खसरान की सीमाओं का राजस्व टीम गठित कर, सीमांकन करवाकर सीमाज्ञान चिन्हित कर पत्थरगढी

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

करवाने हेतु तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया गया। जो विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 7 की ओर से राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि आलौच्य प्रकरण में अपीलांट व रेस्पो0सं0 1 से 6 के मध्य मौके पर सीमा संबंधी विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे पडौसी खातेदार–अपीलांट्स को पक्षकार नही बनाये जाने से उसे सुनवाई का अवसर नही मिला। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार लोहावट के जवाब/रिपोर्ट का अभाव पाया गया, जो कि आवश्यक है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट (फलौदी) द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 26/2023 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.10.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट्स एवं रेस्पो0 सं0 1 से 6 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान/खातेदारान/सह–खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

07.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर